



## झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./13/18- 103

राँची/दिनांक: 24/10/2018

### बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (B.Sc. Nursing (Post Basic) Entrance Competitive Examination) - 2018 के अंतिम साक्षात्कार (Last Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2018 में शामिल अधिकांश अभ्यर्थियों के द्वारा पर्षद को यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कार्यरत की विवरणी दर्ज करने में त्रुटि हो गयी है। अभ्यर्थियों के आवेदन के मद्देनजर प्राप्तांक आधारित नया मेधासूची पर्षद के वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर Downloads कॉलम में जारी कर दी गयी है।

2. दिनांक 04.10.2018 को बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित द्वितीय साक्षात्कार में अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरान्त, सामान्य कोटि में 01 सीट, अनुसूचित जाति कोटि में 01 सीट तथा अनुसूचित जनजाति कोटि में 04 सीटें रिक्त रह गयी है। रिक्त सीटों पर अनुशंसा भेजने के निमित्त बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2018 के परीक्षाफल (नया मेधाक्रमानुसार एवं चयन की प्राथमिकता) के आधार पर दिनांक 30.10.2018 को अंतिम साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है।

3. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैंक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आवंटन किया जायेगा। (क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (ख) आई0एससी0 या 10+2 या 1986 के पूर्व 10+1 परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, (ग) जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, (ग) राज्य परिचारिका परिषद द्वारा जारी निबंधन प्रमाण-पत्र (ग) बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 का प्रवेश-पत्र (Admit Card) [यदि प्रवेश-पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा (F.I.R.) की प्रति], (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)]/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ङ.) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)]/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) [आरक्षित सीटों पर आवंटन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)]/उपायुक्त (Deputy Commissioner) से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।, (च) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

4. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

5. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्सद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास ATM/Debit Card साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाइट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

6. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

7. साक्षात्कार स्थल :- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

8. दिनांक 30.10.2018 को CML Rank 1 से 453 तक के सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) एवं चयन की प्राथमिकता के अनुसार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के समय अनारक्षित कोटि के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के सीटों का भी चयन कर सकते हैं।

नोट:- (क) अंतिम साक्षात्कार, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक आधारित नया मेधाक्रम एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक सं०स०- 10/नर्सिंग-10-28/2012 -178(10) दिनांक 4.07.2013 के द्वारा निर्देशित चयन की प्राथमिकता के अनुसार होगी।

चयन की प्राथमिकता निम्न प्रकार है :-

(क) "ए" ग्रेड नर्स के रूप में सरकारी सेवा (झारखण्ड सरकार) में कार्यरत कर्मी।

(ख) अनुबंध पर झारखण्ड सरकार के अधीन "ए" ग्रेड नर्स के रूप में कार्यरत कर्मी। (अनुबंध पर नियुक्त परिचारिकाओं को सरकारी परिचारिकाओं के अनुरूप सुविधा देय नहीं होगा)।

(ग) गैर-सरकारी संस्थान में "ए" ग्रेड नर्स के रूप में कार्यरत कर्मी।

9. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए द्वितीय साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :-

Sl. No.	Category	New CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	CML Rank	1	453	30.10.2018/ 10:00 AM

10. सीट आबंटन के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान-बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के

विरुद्ध आवश्यक कानूनी कर्वाइ की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधाक्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।

12. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

13. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ विलम्ब से उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

14. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की गारंटी नहीं है।


15. साक्षात्कार के समय महाविद्यालय/संस्थान परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय महाविद्यालय/संस्थान परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

16. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कड़िका 09 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जायेगा तथा उपरोक्त कड़िका 13 के अनुसार ही सीट चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

17. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. साक्षात्कार से संबंधित किसी जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> और दूरभाष सं. 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक के आदेशानुसार

  
(रंजीता हेम्ब्रम, झा0प्र0से0)